



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**मध्यमा, मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) एवं इंटर व्यावसायिक परीक्षा,
2014 के प्रमाण पत्रों में त्रुटि निराकरण एवं मदरसा परीक्षा, 2014 के
प्रमाण पत्र के वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना**

विज्ञापित संख्या - 43/2014

एतद् द्वारा मध्यमा (संस्कृत), मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) एवं इंटर व्यावसायिक परीक्षा, 2014 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि

- (1) मदरसा परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, आवर्जन प्रमाण पत्र एवं क्रॉस लिस्ट परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से दिनांक 08.08.2014 से वितरित किए जायेंगे। संबंधित मदरसा के प्रधानों से अनुरोध है कि वे स्वयं या अधिकृत दूत के माध्यम से ससमय उक्त सामग्री प्राप्त कर छात्र/छात्राओं को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) मध्यमा, मदरसा एवं इंटर व्यावसायिक परीक्षा, 2014 के जिन छात्र/छात्राओं के अंक पत्र आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र की छाया प्रति के साथ) दिनांक 27.08.2014 तक संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा में निःशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधान सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 08.09.2014 तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- (3) अंक पत्र में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा के प्रधान मौलवी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 08.09.2014 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि मध्यमा/मदरसा/इंटर व्यावसायिक परीक्षा-2014 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि "वे संतुष्ट हैं कि स्कूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है" अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर दिनांक 08.09.2014 तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास) रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट 'झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, राँची' के नाम से देय एवं भुगतें, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए 'झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, दुमका' के नाम से देय एवं भुगतें तथा पलामू प्रमण्डल के लिए 'झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, डाल्टेनगंज' के नाम से देय एवं भुगतें होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(मोहन चांद मुक्तिम)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11/SECY/386/14

Dt. 08.08.2014

D.O.P. 09.08.2014